

271



न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 पुनरीक्षण R 3157 III/14

नन्नाई त० ललन्जू अहिवार आयु- 65
साल व्यवसाय- रिटायर्ड रेलवे, निवासी-
धमना तहसील निवाडी जिला टीकमगढ़

--- आवेदक

बनाम

1. रट्टी त० ललन्जू अहिरवार निवासी-
धमना तहसील निवाडी जिला टीकमगढ़
म०प्र०
2. महेन्द्र त० कामता अहिरवार
3. लक्ष्मी पत्नी मुकुन्दी अहिरवार निवासी-
ग्राम स्यावनी तसहील पलैरा जिला
टीकमगढ़ सही पता- ग्राम स्यावनी खुर्द
मऊ, जिला झाँसी,
4. गोमती पत्नी सेवालाल अहिरवार
निवासिनी- ग्राम स्यावनी, खुर्द मऊ,
जिला झाँसी उ०प्र० --- अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व
संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 31/7/2014
पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के
प्रकरण क्रमांक 397/निगरानी/2002-03 व उनवान
नन्नाई बनाम रट्टी आदि।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

3

चिठ पत्र आदि वादायतन
द्वारा उत्तर दिये जा चुके हैं
10/9/14

S. K. Sharma

12.9.14

Recd. 12/9/14

16-10

- 2 -
न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-3157-तीन/2014

जिला-टीकमगढ़

नन्नाई विरुद्ध रट्टी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री आई.पी. द्विवेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 397/निग./2002-03 में पारित आदेश दिनांक 31-07-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 मू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 13-05-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p style="text-align: right;">(आर0के0 जैम) सदस्य</p> <p style="text-align: right;">23/19</p>